

**Shambhunath Institute of Engineering & Technology,**  
**Jhalwa, Allahabad.**

Sr.	Date of Registration	Plot No	Address (Village) Dist.	Area in Acre
1	22.10.2001	58	Jhalwa Allahabad,	0.046
2	22.10.2001	59	Jhalwa Allahabad	0.506
3	22.10.2001	61	Jhalwa Allahabad	0.256
4	22.10.2001	62	Jhalwa Allahabad	0.494
5	7.7.2000	63	Jhalwa Allahabad	2.994
6	7.7.2000	73	Jhalwa Allahabad	1.391
7	22.10.2001	74	Jhalwa Allahabad	0.501
8	7.7.2000	75	Jhalwa Allahabad	0.180
9	22.10.2001	79	Jhalwa Allahabad	0.422
10	22.10.2001	82	Jhalwa Allahabad	0.126
11	22.10.2001	84	Jhalwa Allahabad	0.726
12	24.10.2001	94	Jhalwa Allahabad	1.680
13	1.8.2000	100	Jhalwa Allahabad	1.816
14	24.10.2001	103	Jhalwa Allahabad	0.563
			<b>Total</b>	<b>11.701</b>

**Shambhunath Institute of Engineering & Technology,**  
**Jhalwa, Allahabad.**

Sr.	Document No.	Date of Registration	Plot No	Address (Village) Dist.	Area in Acre
1	1	22.10.2001	58	Jhalwa Allahabad,	0.046
2	2	22.10.2001	59	Jhalwa Allahabad	0.506
3	3	22.10.2001	61	Jhalwa Allahabad	0.256
4	4	22.10.2001	62	Jhalwa Allahabad	0.494
5	5	7.7.2000	63	Jhalwa Allahabad	2.994
6	6	7.7.2000	73	Jhalwa Allahabad	1.391
7	7	22.10.2001	74	Jhalwa Allahabad	0.501
8	8	7.7.2000	75	Jhalwa Allahabad	0.180
9	9	22.10.2001	79	Jhalwa Allahabad	0.422
10	10	22.10.2001	82	Jhalwa Allahabad	0.126
11	11	22.10.2001	84	Jhalwa Allahabad	0.726
12	12	24.10.2001	94	Jhalwa Allahabad	1.680
13	12	1.8.2000	100	Jhalwa Allahabad	1.816
14	14	24.10.2001	103	Jhalwa Allahabad	0.563
				<b>Total</b>	<b>11.701</b>

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कौड़िहार इलाहाबाद

पत्रांक— 128 / मानचित्र अनु0 / निर्माण / 2010-11

दिनांक— 27 / 04 / 2010

अनुज्ञा / स्वीकृति

पत्रांक: 128 / नि0 / मा0अनु0 / ख0वि0अ0

दिनांक—27 / 04 / 2010

सेवा में


अध्यक्ष ,

शम्भूनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी रहीमाबाद इलाहाबाद

विषय—शिक्षण हेतु भूमि लेआउट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

- 01— उपरोक्त विषयक शिक्षण संस्थान बनाने हेतु शम्भूनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी रहीमाबाद इलाहाबाद का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसको निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 02— अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- 03— प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माणधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण न किया जाये।
- 04— जल, नल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाये तथा सीवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
- 05— प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शे/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है तो खण्ड विकास अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 06— प्रतिबन्ध रहेगा कि भवनों का स्ट्रक्चरत प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा के मानको के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी हो होगा।
- 07— भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या आराजी सं0-103,100, एवं 94 ग्राम रहीमाबाद तहसील—सदर जनपद—इलाहाबाद पर निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

  
खण्ड विकास अधिकारी  
कौड़िहार इलाहाबाद  
27/04/2010

# फूलकली

प्रधान

ग्राम पंचायत – रहीमाबाद,  
ग्राम सभा – पीपल गाँव

तहसीलदार – सदर  
जिला – इलाहाबाद

पत्रांक : 56

दिनांक 26-4-10

## नकल प्रस्ताव

आज दिनांक 26 अप्रैल, 2010 को ग्राम पंचायत रहीमाबाद, इलाहाबाद की मीटिंग ग्राम प्रधान फूलकली की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये।

## प्रस्ताव

1. प्रस्ताव में यह पारित हुआ कि शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम-रहीमाबाद तहसील- सदर जनपद- इलाहाबाद जो कि नगर महापालिका एवं शहरी निकाय क्षेत्र से बाहर है तथा ग्राम पंचायत रहीमाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और मेरे अधिकार क्षेत्र में है।
2. यह पंचायत सर्व सम्मित से आराजी सं० 94, 100 और 103 का बिल्डिंग नक्शा पास करती है तथा प्रधान को यह अधिकार देती है कि वह बिल्डिंग प्लान पर हस्ताक्षर करके उसे पास करे।
3. बिल्डिंग के निरीक्षण का अधिकार भी प्रधान को दिया जाता है।

उपरोक्त प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से स्वीकृत किया है।

